




“ और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करेगा वह बड़ी सफलता प्राप्त करेगा । ”

समाज सुधार प्रकाशन श्रंखला 5

# इस्लाम और न्याय

न्याय स्थापित करना और उस पर दृढ़ रहना सरकार एवं न्यायालय का ही कर्तव्य नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य इसका बाध्य है



मौलाना अरशद मदनी

अध्यक्ष, जमीअत उलमा-ए-हिन्द

प्रकाशक

जमीअत उलमा-ए-हिन्द

1-बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-2

## इस्लाम और न्याय

न्याय स्थापित करना और उस पर दृढ़ रहना सरकार एवं न्यायालय का ही कर्तव्य नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य इसका बाध्य है

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

इस्लाम एक आसमानी मज़हब है, जिसको ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले अल्लाह ने ज़मीन पर बसने वाले सभी प्राणियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिये भेजा है, इसलिये इस्लाम के धार्मिक ग्रंथ क़ुरआन करीम में अल्लाह के सच्चे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों में जगह जगह इसका निर्देश मिलता है।

अल्लाह ने क़ुरआन में फ़रमाया है:-

﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

(سورة النساء: 58)

“और जब लोगों का (चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों) समझौता (फ़ैसला) किया करो तो न्याय से समझौता किया करो।” (सूरह-4, आयत-58)

उपरोक्त आयत में अल्लाह तआला ने “लोगों में समझौता किया करो” फ़रमाया है, “मुसलमानों में समझौता किया करो” नहीं

फ़रमाया, इसमें इशारा है कि मुक़दमों के फ़ैसलों में सभी मनुष्य समान हैं, मुस्लिम हों या ग़ैर-मुस्लिम, दोस्त हों या दुश्मन, फ़ैसला करने वालों पर अनिवार्य है कि इन सब सम्बंधों से अलग हो कर जो भी न्याय संगत हो वो फ़ैसला करें। (मआरिफ़ुल क़ुरआन 2/448 )

इस आयत से मालूम हुआ कि जो फ़ैसले न्याय के आधार पर नहीं बल्कि अपने और पराए पर आधारित होंगे वह इस्लामी शिक्षा के विरुद्ध और अत्याचार होंगे।

दूसरी जगह क़ुरआन में अल्लाह ने फ़रमाया कि:-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ  
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ  
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

(سورة المائدة: آيت: ٨)

“ऐ ईमान वालो! अल्लाह तअ़ाला के लिये पूरी पाबंदी और न्याय के साथ गवाही देने वाले बनो और किसी विशेष समुदाय की शत्रुता तुम्हारे लिये इसका कारण न हो जाए कि तुम न्याय न करो, नयाय किया करो। (हर एक के साथ) कि वो तक़्वा (पवित्रता) से अधिक निकट है।”

(सूरत-5, आयत-8)

उपरोक्त आयत में स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया गया है कि न्याय स्थापित करना और उस पर दृढ़ रहना सरकार और न्यायालय ही का कर्तव्य नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य इसका बाध्य है कि वह स्वयं भी न्याय पर डटा रहे और दूसरों को भी न्याय पर डटे रहने का प्रयास करे। (मआरिफ़ुल क़ुरआन 2/572)

तीसरी जगह क़ुरआन में अल्लाह ने फ़रमाया कि:-

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ﴾ . (سورة النحل: آيت: ٩٠)

“निस्संदेह अल्लाह तअ़ाला न्याय एवं अच्छे व्यवहार और रिश्तेदारों को देने का आदेश देते हैं अथवा खुली बुराई और आम बुराई एवं अत्याचार (चाहे किसी धर्म के मानने वाले बल्कि किसी भी प्राणी पर हो) करने से मना करते हैं, अल्लाह तअ़ाला तुमको इसलिये नसीहत फ़रमाते हैं कि तुम नसीहत क़बूल करो।” (सूरत-61, आयत-90)

यह क़ुरआन करीम की व्यापक आयत है जिसमें पूरी इस्लामी शिक्षा को कुछ शब्दों में समेट दिया गया है, इस आयत में अल्लाह तअ़ाला ने न्याय, परोपकार और रिश्तेदारों की सहायता करने का आदेश दिया है। अश्लीलता, हर प्रकार के असभ्य कार्य और अत्याचार से रोका है, न्याय की वास्तविकता यह है कि सभी प्राणियों के साथ सद्भाव और सहानुभूति करे और छोटे बड़े मामले में किसी से विश्वासघात न करे, सब लोगों के लिये स्वयं न्याय मांगे, किसी मनुष्य को उसके किसी कार्य या कर्म से बाहरी या भीतरी तौर पर कोई तकलीफ़ न पहुंचे। (मआरिफ़ुल क़ुरआन)

क़ुरआन में चौथी जगह अल्लाह ने फ़रमाया कि:-

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (سورة الحديد: ٢٥)

“हमने अपने पैग़म्बरों को स्पष्ट आदेश देकर भेजा और हमने उनके साथ न्याय करने के लिये पुस्तक (क़ुरआन) उतारी ताकि लोग (अल्लाह और बन्दों के अधिकार हेतु चाहे वे मुस्लिम हों या ग़ैर-मुस्लिम) संतुलित रहें।” (सूर-57, आयत-53)

इस आयत से मालूम हुआ कि पैग़म्बरों के भेजने और आसमानी किताबें उतारने की सारी व्यवस्था न्याय की स्थापना के लिये ही की गई है, रसूलों का भेजना और किताबों का उतारना इसी उद्देश्य के लिये हुआ है, फिर कैसे संभव है कि किसी सच्चे नबी और उसके लिए हुए

दीन (धार्मिक व्यवस्था) की कोई शिक्षा न्याय के खिलाफ़ या अत्याचार पर आधारित हो।

﴿وَأِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ﴾ . (سورة المائدة: ٤٢)

“और अगर आप फैसला करें तो उनमें न्याय के अनुसार फैसला कीजिये, निस्संदेह अल्लाह तअ़ाला न्याय करने वालों से मुहब्बत करते हैं।” (सूरत-5, आयत-42)

इस आयत से मालूम हुआ कि न्याय करना और बिना किसी भेदभाव के करना अल्लाह तअ़ाला को प्रिय है, अल्लाह ऐसे बंदे को प्रिय रखता है जिसका व्यवहार उसके बंदों के साथ मानवता के आधार पर न्याय संगत होता है और जो आदमी न्याय नहीं करेगा वो अल्लाह तअ़ाला का प्रिय नहीं होगा।

## न्याय से सम्बंधित हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ निर्देश

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ  
يَمِينِ الرَّحْمَنِ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ - الَّذِينَ يَعْدُلُونَ فِي  
حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا﴾ . (رواه مسلم)

“हज़रत अबदुल्लाह बिन अमर बिन आस के अनुसार रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि न्याय करने वाले बंदे अल्लाह तअ़ाला के यहां नूर (प्रकाश) के मंच पर होंगे, अल्लाह के दाहिनी ओर ये वे लोग होंगे जो अपने फैसलों, अपने परिवार एवं सम्बंधियों के साथ व्यवहार और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में न्याय से काम लेते हैं।”

(मुस्लिम शरीफ़)

इस से मालूम हुआ कि जिस तरह मनुष्य को दूसरों के साथ न्याय करने पर जोर दिया गया है उसी तरह अपने परिवार और बच्चों के साथ भी न्याय करने की प्रेरणा दी गई है, अत्याचार हर स्थान पर अत्याचार है, चाहे पत्नी और बच्चों ही के साथ क्यों न हो।

﴿عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ﴾. (جامع الترمذی، باب ماجاء في إمام عادل)

“हज़रत अबू सईद के अनुसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि न्याय के साथ शासन करने वाला शासक क़यामत के दिन अल्लाह को अन्य सभी लोगों से अधिक प्रिय होगा, उसको अल्लाह की सबसे अधिक निकटता प्राप्त होगी और क़यामत के दिन अल्लाह का सबसे अधिक अप्रिय एवं सबसे अधिक पीड़ित अत्याचारी शासक होगा।” (तिरमिज़ी, अत्याचारी शासक से संबंधित खण्ड)

क्योंकि शासक के पास शक्ति एवं सत्ता होती है, इसलिये क़दम क़दम पर उससे अत्याचार और उत्पीड़न का कार्य हो सकता है, अल्लाह के पैग़म्बर का यह कथन उसको सूचित करता है कि क़यामत के दिन तुझे भी बादशाहों के बादशाह के सामने खड़ा होना है और उसकी अदालत में सदैव निर्णय पीड़ित के हित में होगा, इसलिये यहां अत्याचार से अपने आपको सुरक्षित रखो, ताकि क़यामत में अल्लाह के प्रिय बन सको।

﴿عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُّقْسِطٌ مُّتَّصِدِّقٌ مُّوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ وَمُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ﴾. (رواه مسلم)

“हज़रत अयाज़ बिन हमार के अनुसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जन्नती तीन लोग हैं, एक वह बादशाह जो न्याय और दान करने वाला है, दूसरा ऐसा व्यक्ति जो हर रिश्तेदार और अल्लाह की अज्ञा का पालन करने वाले पर दया करने वाला कोमल हृदय हो, तीसरा बाल-बच्चों वाला जो पवित्रता का प्रयास करने वाला हो।” (मुस्लिम शरीफ़)

﴿عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ قَسْمًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كَانَتْ مَعَهُ فَجَرَحَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: (تَعَالَ فَاسْتَقِدْ) قَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!﴾. (رواه ابوداؤد)

“हज़रत अबू सईद खुदरी फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में माल बांट रहे थे कि एक व्यक्ति (माल लेने वाला) हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर औंधा हो कर आ गिरा, आपके हाथ में एक छड़ी थी, आपने उससे कचोका लगाया जिससे उसके चेहरे पर कुछ खरोंच आ गई, तो आपने फ़रमाया कि मुझसे बदला ले लो (अर्थात केवल क्षमा नहीं चाहिये, बल्कि बदला लेने को कह दिया) तो उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने माफ़ कर दिया।” (अबू दाऊद शरीफ़)

अल्लाह का पैग़म्बर आम मनुष्यों की तरह का चरित्र नहीं रखते थे जो दूसरों को आदेश तो देते हैं, लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करते, बल्कि अगर आपसे अनजाने में कोई ऐसा काम हो गया जो दूसरे के लिये पीड़ादायक है तो बदला लेने को फ़रमाते हैं।

﴿عَنْ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ: خَطَبْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ أَقْصُهُ مِنْهُ، قَالَ عَمْرُو بْنُ

الْعَاصِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا آدَبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ اتَّقَصَّهُ مِنْهُ؟، قَالَ:  
 إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَقْصُهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
 أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ. (رواه ابوداؤد)

“हज़रत अबू फ़रास कहते हैं, हज़रत उमर ने एक भाषण में आम प्रजा को संबोधित करते हुए फ़रमाया कि मैंने शासकों और अधिकारियों को इसलिये नहीं भेजा कि वो तुम पर सख़्ती करें, मारें, और तुम्हारे माल छीन लें (बल्कि वे केवल नियमानुसार इस्लामी शिक्षा को प्रस्तुत करने वाले और ज़कात वसूल करने वाले हैं) अगर कोई ऐसा अत्याचार करे तो लोगों को चाहिये कि वो मामले मेरे सामने प्रस्तुत करें, ताकि मैं उनसे बदला लूं, इस पर हज़रत अमर बिन आस ने कहा कि अगर कोई शासक चेतावनी एवं अनुशासन के लिये प्रजा के किसी व्यक्ति पर हाथ उठाए तो क्या आप उससे भी बदला लेंगे? फ़रमाया निस्संदेह मैं उससे भी बदला लूंगा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि स्वयं के बारे में दूसरों को बदला लेने की पेशकश फ़रमाई।”  
 (जैसा कि ऊपर धटना गुज़री)

यही पूर्ण न्याय का नमूना था जिससे इस्लाम कुछ ही दिनों में पूर्व से पश्चिम तक फैल गया और दुनिया की कौमों ने सदियों पुराने अपने धार्मिक संबंध तोड़ कर इस्लाम को गले लगा लिया, इस्लाम ने ही सारे मनुष्यों और सारी कौमों में क़ानूनी और नैतिक समानता पैदा करके सर्वभौमिक भाईचारे की नींव रखी और यह केवल इसलिये कि उसने हर चीज़ की गुणवत्ता राष्ट्रीय सीमाओं को क़रार देने के बजाय अल्लाह के कानून और प्रधानता को क़रार दिया।

